दिनांक 22.09.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत् कचरों के निष्पादन हेतु आज स्व–सहायता समुह के सदस्यों की बैठक आहूत की गई।

उक्त बैठक में श्री एस.के. सुंदरानी आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई ने जीरोवेस्ट पद्धि के तहत् होम कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देने को कहा गया है। आयुक्त ने यह भी कहा कि आप स्वयं अपने घर में गीले कचरे से खाद बनाने के लिए मटका, घड़ा अथवा अपने परिसर में एक गड्ढ़ा खोदकर पीट बनाकर कचरे को इकट्ठा कर खाद बनाया जा सकता है। जिससे कचरा घर के बाहर नहीं निकलेगा और प्लास्टिक आदि सुखे कचरे को विक्रय किया जा सकता है जिसकी आमदनी हो सकती है। एस.एच.जी. ग्रुप के महिलाओं के द्वारा खाद विक्रय करने हेतु 08 सेंन्टर केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिनके माध्यम से इन महिलाओं को लाभ हो सकेगा। एसएचजी ग्रुप के सदस्यों को 20–20 घरों में कम्पोस्टिंग का लक्ष्य दिया गया है जो लोगों के घर–घर जाकर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे। होम कम्पोजिंग प्रक्रिया अपनाने से उत्पादित प्रतिदिन होने वाले कचरे में कमी आयेगी और शहर स्वच्छ एवं सुन्दर दिखेगा।

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी, अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सबसे पहले स्वच्छता पर्यवेक्षकों से उनका परिचय लिया गया और कहां कार्यरत् है उनकी जानकारी प्राप्त की। स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में चर्चा के दौरान जीवीपी से कचरा हटा लिया गया कि नहीं कि जानकारी ली गई। खाद्य विक्रय केन्द्र, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के एसएसजी के माध्यम से खाद्य विक्रय करने के निर्देश दिये गये। और यह कार्य स्व–सहायता समुह के माध्यम से किये जाने, साथ ही फ्लेक्स लगाने हेतु निर्देश दिये गये। वाहनों में लगे जीपीएस सिस्टम से कार्य कराने के भी निर्देश दिये गये। सीटी एण्ड पीटी दल के गठन करने हेतु आवश्यक दिश निर्देश दिये गये। सार्वजनिक स्थलों में शौचालय को लेकर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि अगर सार्वजनिक स्थलों में शौचालय नहीं होगा तो बाहर में खुले में शौच की संभावनाएं बढ़ जायेगी इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों में शौचालय होना अनिवार्य बताया गया।

घरों से निकलने वाले गीले एवं सुखे कचरे को पृथक–पृथक रखने के लिए नागरिकों को समझाईस देने की बात कही गई। जिससे गीले कचरे से खाद बनाया जा सके और सुखे कचरे को रिसायकिलिंग किया जा सके।

जनसम्पर्क अधिकारी